

फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत निवासी मेघाखेड़ा पो. पीपली अहीरान, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 51/2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 11.09.2023</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्रांक क्रमांक सू0अ,05/2023/596 – 597 दिनांक 17.08.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन में इप्सित सूचना का संबंध कार्यालय के न्याय अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग को पत्रांक 454 दिनांक 26.06.2023 को प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग के पत्रांक 5281 दिनांक 18.07.2023 से अवगत कराया कि आवेदन पत्र में वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एच व (ज) में प्रावधित सूचना ही उपलब्ध कराने के प्रावधान है एवं प्रार्थी द्वारा इप्सित सूचना प्रश्नात्मक सूचना की श्रेणी में हैं। अतः अपीलार्थी को निश्चित समयावधी में इस कार्यालय के पत्रांक 549 दिनांक 20.07.2023 से एवं ऑनलाईन पोर्टल क्रमांक 8736098998 दिनांक 21.07.2023 को सूचनार्थ प्रति अपलोड कर प्रार्थी को सूचित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना / ज्ञापन नियमानुसार उपलब्ध करा इस न्यायालय को सूचित करें। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

